अपील सूचना अधिकार संख्या 121/2020 (RCMS 2020/00207) श्री ओम प्रकाश सोनी निवासी 75 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर

14.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 528 दिनांक 13.10.2020 से जवाब प्राप्त हुआ, **शामिल मिसल किया गया।** **अपीलार्थी** श्री ओम प्रकाश सोनी स्वयं उपस्थित है। उसे सुना गया।

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे वांछित सूचना दिलवाने व क्षतिपूर्ति के रूप में एवं खर्चे के रूप में 500/– रूपये दिलवाने और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2020 के द्वारा उप पंजीयक अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> **Stamp duty exemption से सम्बन्धित राज. सरकार द्वारा जारी Notification No. F2(5)Vit/Group_4/87 दिनांक 27.01.1988 एवं Notification No. F2(5)Vit/Group_4 दिनांक 07.09.1992 की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवायें।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 528 दिनांक 13.10.2020 के साथ अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 452 दिनांक 10.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दु संख्या 1 के संबंध में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उस प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदन के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण में उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

राजस्थान स्टाम्प एक्ट एवं पंजीयन रूल्स हेत विभाग की वेबसाईट http://igrs.rajasthan.gov.in/act-and-rules.htm से जानकारी प्राप्त करें।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने पत्रांक 351 दिनांक 05.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 2013 तक के एन्क्लोजर्स जो दस्तावेज पंजीयन के वक्त प्रस्तुत किये गये थे का नियमानुसार नष्टीकरण किया जा चुका है, सूचनार्थ प्रेषित है।
>
> -sd-
> उप पंजीयक
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के आदेश के अनुसार तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी यदि उक्त सूचनाओं से असंतुष्ट है तो वह नियमानुसार उक्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर